| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/एलआर/6556/2006/जालौर<br>जीवाराम वगैरहा बनाम मालाराम वगैरहा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकल पीठ**
**प्रवीण गुप्ता, सदस्य**

**उपस्थित**
श्री डूंगरसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 व 2
श्री लोकेन्द्र सिंह, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार

**निर्णय**

**दिनांकः- 06-12-2019**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा निर्णय दिनांक 28-06-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध निगरानी पेश किए जाने की स्वीकृति बाबत हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण की परिस्थिति के मद्देनजर प्रार्थीगण को न्यायहित में आलोच्य निगरानी पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सांचोर के समक्ष पटवारी हल्का बावरला ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कि मालाराम, किशनराम ने मौजा विष्णुनगर के खसरा संख्या 974 रकबा 0-46 हैक्टर गैरमुमकिन रास्ते पर सम्वत 2061 में बाड करके रास्ता अवरोध कर रखा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार सांचोर ने अप्रार्थीगण को अधिनियम की धारा 91 (1) के तहत अतिक्रमी घोषित करते हुए शास्ति व बेदखली संबंधी आज्ञा दिनांक 26-05-2005 पारित की। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने जिला कलक्टर जालौर के समक्ष अप्रार्थीगण ने प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने निर्णय दिनांक 06-09-2005 द्वारा खारिज करते हुए तहत न्यायालय का आदेश यथावत रखा। उक्त

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/एलआर/6556/2006/जालौर<br>जीवाराम वगैरहा बनाम मालाराम वगैरहा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष पेश, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 28-06-2006 द्वारा स्वीकार करते हुए तहत न्यायालय के दोनों आदेशों को अपास्त कर प्रकरण को तहसीलदार सांचोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि रास्ते की तरमीम रेकार्ड में करवाये तथा रेकार्ड दुरूस्ती का वाद उपखण्ड अधिकारी के यहां अपीलान्ट का लम्बित है उसके निस्तारण के लिए भी नियम संगत कार्यवाही करें। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 28-06-2006 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की है।<br>हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।<br>योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विपक्षी का रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं मानकर भूल की है। जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। आगे बताया कि अपीलीय न्यायालय ने जिस रास्ते को चालू होना कथित किया वह रास्ता विपक्षी के निजी घरों तक जाने का रास्ता है तथा वह सार्वजनिक रास्ता नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत नक्शा पटवारी या तहसीलदार द्वारा प्रमाणित नहीं है। अतः एक साधारण कागज को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। आगे बताया कि अपीलीय न्यायालय ने रास्ते की भूमि के बदले अन्य भूमि ग्रहण कर रेकार्ड में दुरूस्ती के आदेश देने में त्रुटि की है। अतः आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किया है। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालय का यह मत कि गैरमुमकिन गोचर भूमि खसरा संख्या 1051/1361 को नवीन भू-माप के नक्शे में दशाई हुई नहीं कहने में भारी भूल की है। यहीं नहीं पुराने खसरा संख्या 488 रकबा | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/एलआर/6556/2006/जालौर<br>जीवाराम वगैरहा बनाम मालाराम वगैरहा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 21 बीघा 2 बिस्वा जागीर समय से गैरमुमकिन गोचर की भूमि दर्ज चली आ रही है। उनका यह भी तर्क है कि गलत तथ्यों के आधार पर विपक्षी ने सहायक जिला कलक्टर से दिनांक 26-12-1980 को डिक्री प्राप्त कर ली है तथा जिसे निरस्त कराने के लिए जिला कलक्टर जालौर ने आदेश दिनांक 21-06-2006 द्वारा मण्डल के समक्ष रेफरेंस की कार्यवाही संस्थित की है। उनका आगे तर्क है कि विपक्षी द्वारा जो रास्ता उनके द्वारा पेश किया गया है वह किसी भी राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने से उसे मान्यता नहीं दी जा सकती। उन्होंने आगे कहा कि वादग्रस्त गैरमुमकिन रास्ता खसरा संख्या 979 को प्रार्थीगण पीढियो से रास्ते के रूप में काम में ले रहे है तथा इसके अलावा प्रार्थीगण के खेत व ढाणी में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं है तथा यदि रास्ते को परिवर्तित किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को क्षति होगी। उक्त परिवेश में आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 28-06-2006 को अपास्त करते हुए जिला कलक्टर जालौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06-09-2005 एवं तहसीलदार सांचौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-05-2005 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।<br><br>इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि खसरा संख्या 974 विवादित खेत के दक्षिणी माठ पर रास्ता बताया गया है ह रास्ता मौके पर कभी भी चालू नहीं रहा है। आगे बताया कि नक्शा ट्रेस में हुई गलती को दुरूस्त कराने का दावा उपखण्ड अधिकारी सांचौर के न्यायालय में पेश किया हुआ है। इस कारण उनके विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। यहीं नहीं उनका अतिक्रमण सिवायचक चालू रास्ते | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/एलआर/6556/2006/जालौर<br>जीवाराम वगैरहा बनाम मालाराम वगैरहा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

की भूमि पर नहीं है। उक्त परिवेश में आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण उसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। यहीं नहीं अपीलीय न्यायालय के विधि सम्मत आदेश को अन्यथा सिद्ध करने बाबत प्रार्थीगण ने किन्हीं तथ्यों को प्रकट नहीं किया है। अन्त में उन्होंने निगरानी खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

उपराजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि मामले में जिला कलक्टर जालौर एवं तहसीलदार सांचोर द्वारा पारित किए गए निर्णय विधि सम्मत है। यहीं नहीं विपक्षी ने गैरमुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसे पटवारी हल्का ने प्रमाणित किया है, इसी कारण विपक्षी के विरूद्ध बेदखली तथा लगान आरोपित किया गया है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय को खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा प्रकरण में पारित किए गए निर्णयों व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन व अध्ययन किया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि न्यायालय तहसीलदार सांचोर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 में पारित निर्णय 26-05-2005, जिसके द्वारा विपक्षी के विरूद्ध शास्ति व भूमि से बेदखली की आज्ञा पारित किए जाने का प्रश्न है। मामले में वांछित रिपोर्ट पटवारी दिनांक 22705-2005 में स्पष्ट अंकन है कि प्रश्नगत रकबा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है, जिस पर विपक्षी ने अतिक्रमण कर रखा है। खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत 2061 वर्ष 2005-06 के अनुसार प्रश्नगत रकबा बाबत रास्ता अवरोध तथा कालम संख्या 3 में विपक्षी अतिक्रमी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/एलआर/6556/2006/जालौर<br>जीवाराम वगैरहा बनाम मालाराम वगैरहा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | का अंकन है। पटवारी रिपोर्ट तथा उक्त राजस्व अभिलेखों से यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रश्नगत रकबा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है तथा जिस पर विपक्षी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। मामले में सम्पादित पटवारी रिपोर्ट एक राजकीय अभिलेख है तथा इसे जिम्मेदार राज्य सेवक द्वारा निर्मित्त किए जाने के कारण इस रिपोर्ट को अन्यथा सिद्ध करने बाबत हमारे समक्ष कोई अकाट्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है। विवादित भूमि की किस्म गैरमुमकिन रास्ता है, जो राजकीय एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है, उस पर विपक्षी को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। यही नहीं फर्द मौका रिपोर्ट 28–05–2005 के अनुसार अतिक्रमण की गई भूमि से कब्जा हटाकर रास्ता खुलवाया जा चुका है। तदनुसार मामले में तहसीलदार सांचोर द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 91 की गयी कार्यवाही विधि सम्मत पायी जाती है। अतः तहसीलदार सांचोर द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 26–05–2005 विधि के प्रावधानान्तर्गत है। उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध विपक्षी द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष पेश की गयी अपील को न्यायालय ने निर्णय दिनांक 06–09–2005 द्वारा खारिज कर तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि करने में किसी विधि का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है।<br>जिला कलक्टर जालौर द्वारा पारित उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध विपक्षी द्वारा पेश अपील में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली ने उपलब्ध रेकार्ड का बिना विधिक परीक्षण किए तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर आक्षेपित निर्णय पारित करने के कारण उसका समर्थन करने का कोई कारण हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने विपक्षी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही को नियम विपरीत उद्धरित किया है, जबकि उनके समक्ष अप्रार्थीगण | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/एलआर/6556/2006/जालौर<br>जीवाराम वगैरहा बनाम मालाराम वगैरहा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | को अतिक्रमी घोषित करने बाबत पर्याप्त रेकार्ड उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि का वाद दायर होने बाबत भी निष्कर्ष अंकित किया गया है। इस बाबत यहां यह उल्लेखनीय है कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष स्वतंत्र प्रकरण है, जिसकी पृष्ठभूमि इस मामले से भिन्न है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में दिया गया अभिमत उचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अतः हमारी सुविचारित राय में हस्तगत निगरानी में विधि का उपचार उपलब्ध होने के कारण इसे स्वीकार किया जाकर आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br>परिणामतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-06-2006 को खारिज किया जाता है।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(प्रवीण गुप्ता)**<br>**सदस्य** | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/एलआर/6556/2006/जालौर<br>जीवाराम वगैरहा बनाम मालाराम वगैरहा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |